

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3(के- 912/89)/अलेसे-11 1258

दिनांक:-13.3.20

आदेश संख्या 298.../2020-21

श्री कैलाश प्रसाद मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (लिंग नं. 8445), कार्यालय उपकोषालय पहाडी (भरतपुर) को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने पर विभागीय आदेश दिनांक 22.09.2016 द्वारा दिनांक 30.08.2016 से निलम्बित किया गया। कार्मिक (क-3) विभाग के परिपत्र दिनांक 07.07.2010 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा दिनांक 12.01.2011 के क्रम में गठित निलम्बन से बहाली हेतु आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 08.01.2020 में श्री कैलाश प्रसाद मीणा को निलम्बन से बहाल किये जाने का निर्णय लिये जाने पर श्री कैलाश प्रसाद मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड -11 को तुरंत प्रभाव से निलम्बन से बहाल करते हुए इनका पदस्थापन कार्यालय प्राचार्य, पॉलोटेक्निक कॉलेज, अलवर में किया जाता है। उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग के पत्रांक प. 2(3) वित्त/राजस्व/2014 दिनांक 08.01.2020 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

निलम्बन अवधि का निर्णय न्यायालय निर्णय के अध्वधीन रहेगा।

(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(के- 912/89)/अलेसे-11 1258

दिनांक:-13.3.20

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर।
4. प्राचार्य, पॉलोटेक्निक कॉलेज, अलवर।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. श्री कैलाश प्रसाद मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11, कार्यालय- उपकोषालय दौसा।
8. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/विधि एवं जाँच/मासिक सूचना हेतु।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

(भवानी सिंह मीणा)

अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-11)